RBE No. 120/2016

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

No.E(LL)/2016/HPC/7

New Delhi Dt. 13-10-2016

The General Manager(P),
All Zonal Railways;
Metro Railway, Kolkata.

Sub : Recommendations of the High Power Committee to review the duty hours of running staff – Decisions thereof.

The High Power Committee, constituted to review the duty hours of running staff and other safety related categories, had made its recommendations on various aspects related to working hours of these categories. The recommendations have been duly considered by the Board and in modification of previous instructions on the subject, the following decisions have been taken:-

i) In respect of Loco Pilots (Shunting) who are presently working on fixed roster basis, the existing provisions will continue.

ii) In severe operational exigencies like acts of God, earthquakes, accident, floods, agitations, and equipment failure etc., the Controller should suitably advise the staff that they may be required to work beyond the limits prescribed.

iii) Present classification of running staff under Railway Servants (Hours of Work & Period of Rest) Rules, 2005, should be maintained.

iv) Subject to exigencies of service, a maximum limit of 125 duty hours per fortnight should be laid down for all Running Staff.

v) The limit of stay away from Head quarters for Running Staff should be fixed at 72 hours.

vi) Continuous night duty for Running Staff should be limited to 4 nights with Fourth night towards headquarters.

vii) As regards the duration of outstation rest, there will be no change in the existing provisions.

viii) Call notice period should continue to be a part of the headquarter / outstation rest.

ix) There will be no change in the existing provisions for Periodical Rest. However, preference should be given to Periodical Rest for 4 periods of 30 consecutive hours.

x) The principle and period of averaging reckoned for the purpose of payment of Overtime Allowance will continue as per existing guidelines.

2. The existing provisions of the Railways Act, 1989 and Railway Servants (Hours of Work & Period of Rest) Rules, 2005, other than those mentioned above, will continue to be in vogue.

3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge the receipt.

(D.V. Rao)
Director Estt.(LL)
Railway Board

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi
2. The General Secretary, NFIR, RoomNo.256E, Rail Bhawan, New Delhi
3. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No. 7, GF, Rail Bhawan, New Delhi
4. The General Secretary, All India OBC Railway Employees Federation, Room No. 48, GF, Rail Bhawan, New Delhi

आरबीई सं. 120/2016

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एलएल)/2016/एचपीसी/7

नई दिल्ली, दिनांक 13-10-2016

महाप्रबंधक(पी),
सभी क्षेत्रीय रेलें,
मेट्रो रेलवे, कोलकाता।

विषय:- रनिंग स्टॉफ के ड्यूटी घंटों की समीक्षा के लिए गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर लिया गया निर्णय।

रनिंग स्टॉफ और अन्य संरक्षा संबंधी कोटियों के ड्यूटी घंटों की समीक्षा के लिए गठित की गई उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने इन कोटियों के कार्य घंटों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अपनी सिफारिशें दी हैं। बोर्ड द्वारा इन सिफारिशों पर विधिवत विचार किया गया और उपर्युक्त विषय पर पिछले अनुदेशों में आशोधन करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

i) ऐसे लोको पायलट (शंटिंग), जो फिलहाल स्थाई रोस्टर आधार पर कार्य कर रहे हैं, के मामले में मौजूदा प्रावधान जारी रहेंगे।

ii) अत्यंत परिचालनिक अनिवार्यता जैसेकि दैविक आपदा, भूकम्प, दुर्घटना, बाढ़, आंदोलन और उपकरणों की विफलता आदि के मामले में नियंत्रक द्वारा कर्मचारियों को उपयुक्त रूप से यह बताया जाना चाहिए कि उन्हें निर्धारित अवधि के पश्चात् भी कार्य करना पड़ सकता है।

iii) रेलवे सेवक (कार्य के घंटे एवं विश्राम की अवधि) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत रनिंग स्टॉफ का वर्तमान वर्गीकरण बनाए रखा जाना चाहिए।

iv) सभी रनिंग स्टॉफ के लिए सेवा की अनिवार्यता के अनुसार प्रति पखवाड़ा 125 ड्यूटी घंटे की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

v) रनिंग स्टॉफ के लिए मुख्यालय से बाहर रहने की सीमा 72 घंटे निर्धारित की जानी चाहिए।

निपमन

vi) रनिंग स्टॉफ के लिए लगातार रात की ड्यूटी 4 रात तक सीमित की जानी चाहिए, जिसमें चौथी रात मुख्यालय की ओर रवानगी की होनी चाहिए।

vii) जहां तक मुख्यालय से बाहर विश्राम अवधि (outstation rest) का संबंध है इस संबंध में मौजूदा प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

viii) कॉल नोटिस अवधि, मुख्यालय/मुख्यालय से बाहर के विश्राम (outstation rest) के भाग के रूप में जारी रहेगी।

ix) आवधिक विश्राम के संबंध में मौजूदा प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बहरहाल, 30 निरंतर घंटों की 4 समयावधियों के आवधिक विश्राम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

x) समयोपरि भत्ते के भुगतान का सिद्धांत और औसत अवधि की गणना मौजूदा दिशा-निदेशों के अनुसार की जाती रहेगी।

2. ऊपर उल्लिखित को छोड़कर, रेलवे अधिनियम,1989 और रेल सेवक (कार्य के घंटे एवं विश्राम की अवधि) नियम, 2005 के अन्य मौजूदा प्रावधान लागू रहेंगे।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

4. कृपया पावती दें।

डी वी राव

(डी. वी. राव)
निदेशक स्थापना (एलएल)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, कमरा नं. 7, भू-तल, रेल भवन, नई दिल्ली।
4. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे इम्प्लाइज़ फेडरेशन, कमरा नं. 48, भू-तल, रेल भवन, नई दिल्ली।